न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या– 04/2021
जीसीएमएस नं0– 2021/21
दायर दिनांक– 15.03.2021
निर्णय दिनांक– 29.08.2022

प्रार्थीगण

1. श्री दुर्गा पुत्र श्री माला जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्री नाथु पुत्र श्री लादु जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री अर्जुन राम पुत्र श्री हरसुख राम छाबा जाति जाट निवासी फालका तहसील जैतारण जिला पाली।
2. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामपाल जाति जाट निवासी खाकड़की तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर।
3. श्री प्रदीप पुत्र श्री पाबूराम चौधरी जाति जाट निवासी तेजाविला मझेला रोड़ शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
4. वनपाल नाका पुष्कर जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
6. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
7. श्रीमान उपपंजीयक महोदय पुष्कर जिला अजमेर।

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति– 1. श्री सरफुद्दीन मो. अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर
3. श्री हरि सिंह गुर्जर, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 06

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 123 नया पुराना 82 खसरा नंबर 694 के राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कर तरमीम करने हेतु प्रस्तुत किया ।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:29 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 25.10.2021 को अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 27.04.2022 को अप्रार्थी सं. 06 की ओर से वकील श्री हरि सिंह गुर्जर ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1972 दिनांक 30.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बिन्दुवार प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " **राजस्व ग्राम नेडलिया की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 42 में वर्किंग ख.नं. 609 रकबा 23–01–10 बीघा किस्म बारानी 2 एवं अन्य खसरा नम्बरान कुल किता 21 करबा 50–07–00 बीघा पर दुर्गा वल्द माला 1/2 हि. नाथू, भागचन्द पि. लादू 1/2 हि. कौम रावत सा. देह खातेदार कॉलम नं. 4 में दर्ज है। ग्राम नेडलिया के वर्किंग खसरा नम्बर 609 के भू–प्रबन्ध संक्रिया उपरान्त मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 694 रकबा 3.74 हैक्टेयर बने है। नामा. सं. 276 विभाजन दिनांक 15.06.18 से वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 123 में ख. नं. 1477/694 रकबा 1.86 किस्म बारानी 2, 1478/694 रकबा 0.01 किस्म बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर पर दुर्गा पुत्र माला हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 433 में ख.नं. 1479/694 रकबा 1.86 किस्म बारानी 2, 1480/694 रकबा 0.01 किस्म बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर पर नाथु पुत्र लादू हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुष्कर के नाम दर्ज है। वर्तमान ख.नं. 696/933 रकबा 0.16 किस्मी बारानी 3 वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 422 में अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो कि वर्किंग ख.नं. 581 मि. सिवायचक से बना है जिसकी सीमा आकृति का क्षेत्रफल 0.16 हैक्टेयर से अधिक है। ग्राम नेडलिया के वर्किंग खसरा नम्बर 609 के भू–प्रबन्ध संक्रिया उपरान्त मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान ख.नं. 694 रकबा 3.74 हैक्टेयर बने है। तथा ख.नं. 694 का विभाजन से नवीन ख.नं. 1477/694 रकबा 1.86, 1478/694 रकबा 0.01, 1479/694 रकबा 1.86, 1480/694 रकबा 0.01 बन गये है। वर्किंग ख.नं. 609 की सीमा आकृति का वर्तमान राजस्व नक्शे में हाल ख.नं. 1477/694, 1478/694, 1479/694, 1480/694 की सीमा आकृति का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर वर्तमान ख.नं. 694/933 की उत्तरी पश्चिमी सीमा में भिन्नता दर्शित है। जिसकी हाल नक्शे में वर्किंग नक्शे अनुसार लाल स्याही से दर्शित सीमा अनुसार प्रस्तावित शुद्धि किया जाना अनुशंषनीय है। प्रस्तावित शुद्धि प्रस्ताव संलग्न है।**

दिनांक 27.04.2022 को अप्रार्थी सं0 6 अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त महोदय द्वारा बिन्दुवार जवाब प्रार्थना–पत्र [illegible] या, जिसमें कथन किया कि " प्रकरण के पैरा सं0 1 लगायत 5 में [illegible] कथन [illegible] प्रकार से एवं जिस उद्देश्य से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

वर्णित किये गये हैं वह गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं। जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के पैरा सं0 5 लगायत 11 में वर्णित कथन जिस प्रकार एवं जिस उद्देश्य से वर्णित किये गये हैं वह गलत होने से अस्वीकार हैं। यहां पर अप्रार्थी उत्तरदाता की ओर से निवेदन हैं कि प्रकरण पर सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं हैं। प्रकरण में वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ हैं, प्रार्थीगण द्वारा परिसीमा अवधि के बाहर जाकर वाद पेश किया गया हैं। जो कि अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य हैं। शेष अनुतोष हैं, जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पैरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 6 द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 123 नया पुराना 82 खसरा नंबर 694 के राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करना न्यायहित में उचित प्रतीत होती है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थीगण के आराजी कृषि भूमि के खसरा नं0 694 के हाल खसरा नंबरान **1477/694, 1478/694, 1479/694, 1480/694** के वर्तमान नक्शा ट्रेस को साबिक खसरा नंबर 609 के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जावें (संलग्न नक्शा ट्रेस को निर्णय का भाग समझा जावें)। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:29 IST
Reason: SelfAttested

29.08.22
सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
(आर.ए.एस.)

नकल नक्शा किश्तवार
मौजा – नेडलिया
तहसील – अजमेर
जिला – अजमेर (राज०)
सन् – १९७१-७२ साबत् २०३६–३८
पैमाना – १ सेमी. = ४० मीटर

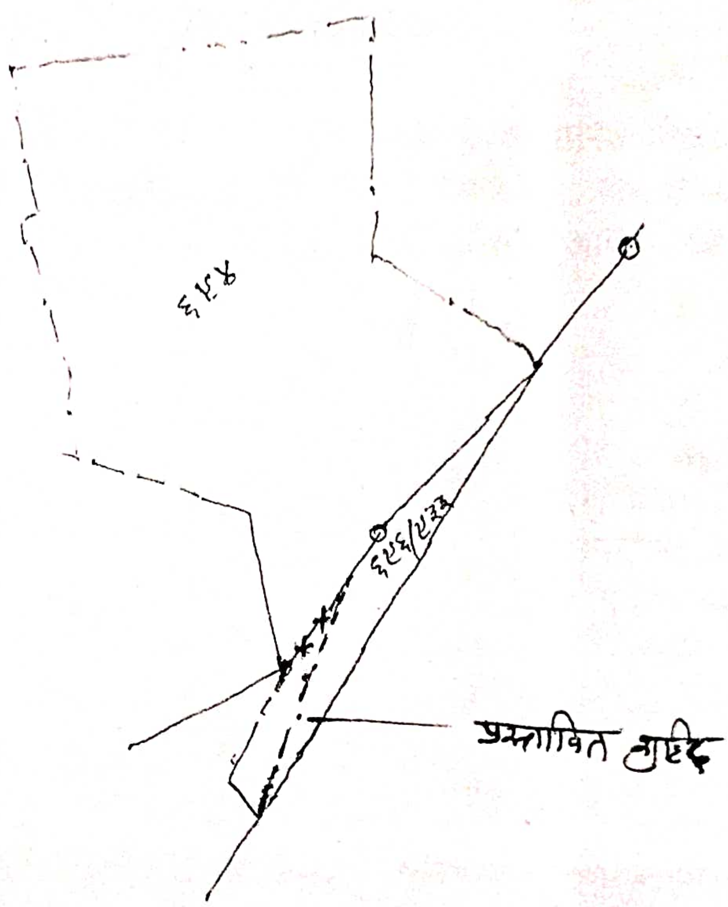

नोट :- राजकीय कार्य हेतु निःशुल्क जारी

20.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:29 IST
Reason: SelfAttested